

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग**

क्रमांक :- प. 16(1)साप्र/2/2018

जयपुर, दिनांक : 26.10.2018

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-

क्र. स.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवण्टित आवास
1.	55/2014	श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, कार्मिक (क-4/वाद) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.11.2050	4/146 (पुराना नं. एफ-927) गाँधीनगर
2.	57/2011	श्रीमती गंगना कँवर, कनिष्ठ लिपिक, पशुपालन विभाग, जयपुर	31.10.2030	4-सी-9, बहुमंजिला गाँधीनगर (4/134 के स्थान पर)
3.	61/2011	श्री भवानी शंकर कुमावत, नर्स ग्रेड-आ, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	30.09.2046	4/169 (पुराना नं. एफ-982) गाँधीनगर
4.	62/2011	श्रीमती रेखा कुमारी, नर्स ग्रेड-आ, जे.के.लोन. अस्पताल, जयपुर	30.09.2044	4/16, गाँधीनगर
5.	57/2014	श्री करणीदान बारेठ, वरिष्ठ लिपिक, सार्वजनिक निर्माण विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.06.2043	4/31, गाँधीनगर
6.	63/2011	सुश्री सुमन, नर्स ग्रेड-आ, जे.के.लोन. अस्पताल जयपुर	31.07.2045	4/48, गाँधीनगर
7.	64/2011	श्री बाबू लाल सैनी, संगणक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर	31.07.2028	4-ए-21, बहुमंजिला गाँधीनगर
8.	65/2011	श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत, फायरमैन, नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा मुख्यालय, जयपुर	31.07.2027	4-डी-19, बहुमंजिला गाँधीनगर
9.	58/2014	श्री बलराम, वरिष्ठ लिपिक, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	28.02.2045	4/55, गाँधीनगर
10.	67/2011	डॉ. बलराज विश्णोई, निरीक्षक, सहकारिता विभाग, जयपुर	01.01.2032	4/63, गाँधीनगर
11.	68/2011	श्री राजकुमार शर्मा, निरीक्षक, सहकारिता विभाग, जयपुर	30.09.2027	4/68, गाँधीनगर
12.	72/2014	श्री कमलेश शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, मंत्रिमण्डल सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2035	4/96, गाँधीनगर
13.	69/2011	श्री सुरेश चन्द मीणा, निरीक्षक, सहकारिता विभाग, जयपुर	31.10.2032	4/97, गाँधीनगर
14.	72/2011	श्रीमती शर्मिला गुप्ता, टेकनिशियन, राज० महिला पोली० कॉलेज, जयपुर	31.08.2026	4/110, गाँधीनगर
15.	73/2011	श्री कृष्णस्वरूप माथुर, सांख्यिकी सहायक, कृषि गणना (राजस्व विभाग) जयपुर	31.05.2021	4/115, गाँधीनगर
16.	80/2014	श्रीमती तृप्ति खण्डेलवाल, वरिष्ठ लिपिक, कार्मिक (क-5) विभाग, जयपुर	31.05.2047	4/123, गाँधीनगर
17.	74/2011	श्री भरत लाल शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.03.2029	4/132, गाँधीनगर
18.	75/2011	श्री मुरारी लाल यादव, कनिष्ठ लिपिक, ए.टी.एस. जयपुर	31.10.2026	4/133, गाँधीनगर
19.	76/2011	श्री जय सिंह, कनिष्ठ लिपिक, ए.टी.एस. जयपुर	31.08.2026	4/137, गाँधीनगर

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
5. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
6. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।



6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी--चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. क्रम संख्या 2, 7, एवं 8, पर अंकित आवंटी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 150/- (अक्षरे एक सौ पचास रूपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

३०  
(पी.डी.पारीक)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. अतिरिक्त पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/जे.के.लोन चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
9. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
10. उपायुक्त पुलिस, जयपुर (पूर्व) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
11. प्राचार्य, राजकीय महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
12. निदेशक, विधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
13. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
14. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
18. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
19. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
20. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
21. संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
22. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
23. रक्षित पत्रावली।

/ 26/10/16  
उप शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

**प्रपत्र**

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर